राजगढ़ (चूरू)

बइजलास - इन्द्राजसिंह आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 297/2019

निर्णय दिनांक - 10/12/2019

...सिंह पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी मून्दीताल तहसील राजगढ़ जिला चूरू

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा० भू राजस्व अधिनि

—

उपस्थित :-

1. श्री बलवान शर्मा अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकारराज वास्ते अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरूद्व प्रार्थी पैमाईश व पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधि का इस न्यायालय में दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 91 ख० न० 427/100 तादादी 3.05 है० ख० न० 429/25 तादादी 3.65 है० ख० न० 431/261 तादादी 0.52 है० कुल तादादी 7.22 है० वाके रोही मून्दीताल तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी, कब्जा व उपयोग उपभोग की है। यही विवादित भूमि है। उक्त ख की कृषि भूमियों के बीच में पुख्ता सीमा चिन्ह थे जो भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण समाप्त हो गये है जिससे पड़ोसी खातेदारो से प्रार्थी सीमा विवाद होने की आशंका है जिस कारण प्रार्थी के लिए अपनी खातेद की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी के कहने व कहलवाने पर भी पड़ोसी खातेदारों ने ऐसा मानने से दिनांक 1.7.2019 को बमुकाम मून्दीताल में साफ इन्कार कर दिया जिस कारण प्रार्थ पत्र प्रस्तुत करना पड़ा आदि-आदि पेश कर अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थर गढ़ी करवाने का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर अप्रार्थी को नियमानुसार तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। राजहित प्रभावित होने की कोई सम्भावना नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी से वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की होना प्रमाणित है। प्रकरण पैमाईश करवा कर अपनी खातेदारी की भूमि के उक्त सीमा चिन्ह पैमाईश के मुताबिक कायम करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के सम्बन्ध में है। प्रार्थी द्वारा सीमा विवाद होना अंकित किया है ऐसे में मौका पर प्रार्थी की कृषि भूमि की पैमाईश करवा कर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी नियमानुसार रोही ग्राम मुन्धीताल तहसील राजगढ़ जिला चूरू के ख०न० 431/261 427/100 तादादी 3.05 है० ख०न० 429/258 तादादी 3.65 है० ख०न० तादादी 0.52 है० कुल तादादी 7.22 है० प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्राप्त कर सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढ़ी करवायें। तदनुसार पालना हेतु परवाना जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)